

अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 22 - DEFENCE PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	7,77,00	1,30,96	-6,46,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,89,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	119688,23,00		
		153412,61,00	153405,58,82	-7,02,18
पूरक	Supplementary	33724,38,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के प्रभारित भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं : -

1. In the *charged* portion of the grant, savings occurred under the following major head: -

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	777.00		
		188.00	130.96	-57.04
पु.	R.	-589.00		

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 15.00 लाख का विनियोग पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) “रक्षा – थल सेना – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ” के अंतर्गत – ₹591.78 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम संख्या में न्यायालय में मामलों का निपटारा होने के कारण हुई।

2. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुए :-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष “2071”	Major Head “2071”			
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	11968823.00		
पू.	S.	3372438.00		
		15341261.00	15340558.82	-702.18

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) “रक्षा – वायु सेना – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ” के अंतर्गत – ₹1029418.91 लाख का मूल प्रावधान ₹19334.53 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1048753.44 लाख तक बढ़ाया गया जो परिवार पेंशन भोगियों की घटती हुई संख्या और पेंशन भोगियों की कम संख्या के कारण ₹7462.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) “रक्षा” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “थल सेना – छुट्टी नकदीकरण” – ₹32703.25 लाख की बचत (₹452363.76 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) *Appropriation of ₹ 15.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.*

(II) Under “Defence - Army - Pension and other Retirement Benefits” - saving of ₹591.78 lakhs (against the sanctioned *appropriation* of ₹700.00 lakhs) was due to finalization of less court cases.

2. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
15341261.00	15340558.82	-702.18

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) Under “Defence - Air Force - Pension and other Retirement Benefits” - the original provision of ₹1029418.91 lakhs was augmented to ₹1048753.44 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19334.53 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7462.70 lakhs - due to decrease in number of family pensioners and less number of retirees.

(II) Under “Defence” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Army - Leave Encashment” - saving of ₹32703.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452363.76 lakhs); and

(खा) “नौ सेना – छुट्टी नकदीकरण” – ₹2749.05 लाख की बचत (₹33279.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अंतिम निपटारा करने योग्य मामलों, मृत्यु के मामलों और पूर्व जारी मामलों की कम संख्या होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें “रक्षा” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(I) “थल सेना – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ” – ₹32128.87 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹517167.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹10344863.24 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में परिवार पेंशन भोगियों की संख्या में वृद्धि होने और सेवा निवृत्त होने वालों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या होने के कारण हुआ।

(II) “नौ सेना – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ” – ₹2740.17 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹21812.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹582918.00 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना में परिवार पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ने के कारण हुआ।

(III) “वायु सेना – छुट्टी नकदीकरण” – ₹7207.71 लाख का अधिक व्यय (₹320.47 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹63379.56 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना में) अंतिम रूप में निपटारा किए गए मामलों, मृत्यु के मामलों, पूर्व जारी की गई राशि के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने और सेवा निवृत्त व्यक्तियों के खाते में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में छुट्टी जुड़ी होने के कारण हुआ।

(B) “Navy - Leave Encashment” - saving of ₹2749.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33279.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less number of final settlement cases, death cases and pre-release cases.

3. The above savings were partly offset by excess under “Defence” under the following heads: -

(I) “Army - Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹32128.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10344863.24 lakhs including supplementary grant of ₹517167.00 lakhs obtained in March, 2023) was due to increase in number of family pensioners and more number of retirees.

(II) “Navy - Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹2740.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹582918.00 lakhs including supplementary grant of ₹21812.00 lakhs obtained in March, 2023) was due to increase in number of family pensioners.

(III) “Air Force - Leave Encashment” - excess of ₹7207.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63379.56 lakhs including supplementary grant of ₹320.47 lakhs) was due to more number of final settlement cases, death cases, pre-release cases and more leave at the credit of the retirees.